



## बिहार विधान परिषद्

## कार्य सूची

संख्या-5

213वां सत्र

शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई, 2026

11.00 बजे पूर्वाह्न

### प्रश्नोत्तर

1. अल्पसूचित प्रश्न
2. तारांकित प्रश्न

### औपचारिक कार्य

3. सचिव, विधेयक संबंधी संदेश, यदि कोई हो, पढ़ेंगे।
4. सचिव, विधान सभा से स्वीकृत विधेयक, यदि कोई हो, मेज पर रखेंगे।

### परिनियत कार्य

5. प्रभारी मंत्री, विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वी०बी०-जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 योजना अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु 12 (बारह) निर्गत संकल्प एवं अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।
6. प्रभारी मंत्री, बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2026 की प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।
7. प्रभारी मंत्री, बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2026 एवं बिहार तकनीकी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 की एक-एक प्रति (हिन्दी एवं अंग्रेजी) सदन की मेज पर रखेंगे।



### ध्यानाकर्षण

8. डॉ० मदन मोहन झा, राज्य के सम्बद्ध महाविद्यालयों को आरक्षित कोटि के छात्र-छात्राओं की बकाया शिक्षण शुल्क-क्षतिपूर्ति राशि अविलम्ब जारी कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। (उच्च शिक्षा विभाग)
9. श्री महेश्वर सिंह एवं अन्य 06 (छः) माननीय सदस्यगण, भोजपुर जिलान्तर्गत वीर कुंवर सिंह स्मारक एवं म्यूजियम की दयनीय स्थिति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। (कला एवं संस्कृति विभाग)
10. डॉ० अजय कुमार सिंह, सहरसा जिला स्थित कन्या उच्च विद्यालय, पूरब बाजार, सहरसा के लिए जिला परिषद् की एक एकड़ भूमि का हस्तान्तरण एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। (शिक्षा विभाग)
11. श्री जीवन कुमार, राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत वैसे विशिष्ट / नियोजित शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष जिनकी सेवा 10 वर्ष से कम बची है, उनकी सेवानिवृत्ति के उपरांत सम्मानजनक पेंशन की व्यवस्था करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। (शिक्षा विभाग)
12. श्री नवल किशोर यादव, राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों (सहायक प्राध्यापक) की सेवा समायोजन के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। (उच्च शिक्षा विभाग)
13. श्री राजीव कुमार, बिहार के प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की योजना के तहत पूर्व से संचालित वित्त रहित कॉलेजों का पूर्ण अधिग्रहण करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। (उच्च शिक्षा विभाग)
14. श्री वंशीधर ब्रजवासी, राज्य के सेवानिवृत्त होनेवाले शिक्षकों के साथ-साथ विद्यालय अध्यापकों / विशिष्ट शिक्षकों / प्रधान शिक्षकों एवं प्रध्यानाध्यापकों को निश्चित एवं पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। (शिक्षा विभाग)
15. श्री सर्वेश कुमार, राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में समाज की सहभागिता, चेयर ऑफ एक्सीलेंस तथा एलुम्नाई (पूर्व छात्र) संगठन की स्थापना एवं नीति बनाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। (उच्च शिक्षा विभाग)
16. प्रो० (डॉ०) वीरेन्द्र नारायण यादव एवं अन्य 06 (छः) माननीय सदस्यगण, बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर तथा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा में बरती जा रही अराजकता एवं वित्तीय अनियमितता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। (उच्च शिक्षा विभाग)



17. श्री आफाक अहमद एवं अन्य 06 (छः) माननीय सदस्यगण, राज्य के प्रस्वीकृत एवं अनुदानित मदरसों के कुल 1128 कोटि को पुनः स्थलीय जांच से मुक्त रखने तथा मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों का लम्बित वेतन भुगतान के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। (शिक्षा विभाग)
18. श्री घनश्याम ठाकुर, मधुबनी जिलान्तर्गत बेनीपट्टी प्रखंड के ब्रह्मपुरा पंचायत स्थित चतरा मध्य विद्यालय की भूमि का तालाब में कटाव होने के कारण विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु विद्यालय की घेराबंदी (बाउन्ड्री वॉल) कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। (शिक्षा विभाग)
19. श्री अशोक कुमार, मगध विश्वविद्यालय के तीन महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं से अनधिकृत शुल्क वसूली की जांच कराने एवं सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। (उच्च शिक्षा विभाग)
20. श्री सौरभ कुमार, पटना स्थित जी०पी०ओ० से महावीर मन्दिर तक निर्मित सब-वे का नाम "पद्मश्री श्रद्धेय आचार्य किशोर कुणाल सब-वे" रखे जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। (नगर विकास एवं आवास विभाग)
21. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, दरभंगा जिला के पुरानी मुंसफी, वार्ड सं०-25, थाना-लहेरियासराय निवासी स्व० फैज अहमद की हत्या की उच्चस्तरीय जांच कराने एवं इसमें संलिप्त साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। (गृह विभाग)
22. प्रो० संजय कुमार सिंह एवं अन्य 05 (पाँच) माननीय सदस्यगण, शिक्षकों की समायोजन प्रक्रिया में सुधार, ज्ञापांक-4207, दिनांक-22.11.2025 के आलोक में समयबद्ध प्रोन्नति देने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। (शिक्षा विभाग)
23. प्रो० संजय कुमार सिंह एवं अन्य 04 (चार) माननीय सदस्यगण, शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों (DIET, PTEC, BITE, CTE) के व्याख्याताओं की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से 65 वर्ष किये जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। (उच्च शिक्षा विभाग)

#### शून्यकाल से परिवर्तित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य

24. डॉ० सुनील कुमार सिंह के, राज्य के बैंकों में आम लोगों द्वारा जमा की गई राशि का उपयोग युवाओं एवं बेरोजगारों को उद्योग लगाने में ऋण के रूप में इस्तेमाल करने से संबंधित शून्यकाल की सूचना से परिवर्तित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य (वित्त विभाग)



## वित्तीय कार्य

### वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद

#### एवं सरकार का उत्तर

25. वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर

## वित्तीय विधेयक

### बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2026

26. श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2026 पर विचार हो
27. श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2026 पारित हो
28. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य, यदि कोई हो।
29. **शोक प्रकाश**

प्रधानमंत्री  
23 जु. 2026

(शंकर कुमार)

प्रभारी सचिव

बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक-वि.प.वि.- 49/2026 -1072 (3) / वि.प.।

दिनांक - 23.07.2026

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय, बिहार / माननीय मंत्रीगण / माननीय मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय / मुख्यमंत्री सचिवालय (चार प्रतियों में) / माननीय राज्यपाल, बिहार के सचिव / माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आवासीय कार्यालय एवं बिहार विधान सभा स्थित कार्यालय वेशम / प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/ लोकायुक्त, बिहार / महाधिवक्ता, बिहार / बिहार सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष / सभी राज्यों के विधान मंडलों के सचिव / लोकसभा तथा राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली / पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली / बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना / निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार / अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना / समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना / जन-सम्पर्क पदाधिकारी एवं प्रभारी, नेवा सेल, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/07/26  
(ज्ञान प्रकाश)

निदेशक

बिहार विधान परिषद्





## بہار قانون ساز کاؤنسل

## فہرست امور

شمارہ-۵

۲۱۳ واں اجلاس

جمعہ، مورخہ ۲۴ جولائی، ۲۰۲۶

۱۱ بجے دن

### سوال و جواب

۱. مختصر میعادى سوال

۲. علامتى سوال

### رسمى امور

۳. سکریٹری، بل سے متعلق پیغام، اگر کوئی ہو، پڑھیں گے۔

۴. سکریٹری، قانون ساز اسمبلی سے منظور بل، اگر کوئی ہو، میز پر رکھیں گے۔

### ضابطے کے تحت کارروائی

۵. انچارج وزیر، ترقی یافتہ بھارت - روزگار اور گزر اوقات کے لیے گارنٹی مشن (دیہی) (وی بی جی رام جی) منصوبہ، بہار، ۲۰۲۶ منصوبہ کے تحت محکمہ دیہی ترقیات کے ذریعہ مختلف منصوبوں کے نفاذ کے لیے ۱۲ (بارہ) جاری ریزولوشن اور نوٹیفیکیشنوں کی ایک ایک کاپی ایوان کی میز پر رکھیں گے۔

۶. انچارج وزیر، بہار خام (گرانٹ، ناجائز کٹنی، ٹرانسپورٹ اور ذخیرہ اندوزی انسداد) (ترمیم) ضابطہ نامہ، ۲۰۲۶ کی کاپی ایوان کی میز پر رکھیں گے۔



۷. انچارج وزیر، بہار انجینئرنگ سروس کیٹگری-۲ بھرتی (ترمیم) ضابطہ نامہ، ۲۰۲۶ اور بہار ٹیکنیکی سروس (ترمیم) ضابطہ نامہ، ۲۰۲۶ کی ایک ایک کاپی (ہندی و انگریزی) ایوان کی میز پر رکھیں گے۔

### توجہ طلب اطلاع

۸. ڈاکٹر مدن موہن جھا، ریاست کے متعلقہ کالجوں کوریٹو کیٹگری کے طلباء و طالبات کی بقایہ ٹریننگ فیس تلافی مافات کی رقم فوراً جاری کرانے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔ (محکمہ اعلیٰ تعلیم)

۹. جناب مہیشور سنگھ و دیگر ۶ معزز اراکین، بھوجپور ضلع کے تحت ویرکونر سنگھ میموریل و میوزیم کی خستہ حالت کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔ (محکمہ فن و ثقافت)

۱۰. ڈاکٹر اجے کمار سنگھ، سہرسہ ضلع کے تحت گرلس ہائی اسکول، پورب بازار، سہرسہ کے لیے ضلع پریشد کی ایک ایکٹرز مین کے تبادلہ و بنیادی سہولیات کی حصولیابی کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔ (محکمہ تعلیم)

۱۱. جناب جیون کمار، ریاست کے سرکاری اسکولوں میں کام کر رہے ویسے گیٹ ٹھیکہ پر بحال ٹیچر و لائبریرین جن کی سروس ۱۰ سال سے کم بچی ہے، ان کی سبکدوشی کے بعد پروکارپنشن کا نظم کرنے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔ (محکمہ تعلیم)

۱۲. جناب نول کشور یادو، ریاست کی مختلف یونیورسٹیوں میں کام کر رہے گیٹ ٹیچروں (اسٹنٹ ٹیچر) کی سروس ایڈجسٹمنٹ کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔ (محکمہ اعلیٰ تعلیم)

۱۳. جناب راجیو کمار، بہار کے ہر ایک بلاک میں ڈگری کالج کھولنے کے منصوبہ کے تحت قبل سے چل رہے غیر مالی کالجوں کو مکمل تحویل میں لینے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔ (محکمہ اعلیٰ تعلیم)

۱۴. جناب ونشی دھر برجواسی، ریاست کے سبکدوش ہونے والے ٹیچروں کے ساتھ ساتھ اسکول کے ٹیچروں/گیٹ ٹیچروں/ ہیڈ ماسٹروں اور پرنسپلوں کو یقینی اور پرانے پنشن منصوبہ کا فائدہ فراہم کیے جانے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔ (محکمہ تعلیم)

۱۵. جناب سرویش کمار، ریاست کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں سماج کی حصہ داری، چیرمین آف ایزی لنس اور الومنائی (سابق طالب علم) تنظیم کے قیام و پالیسی بنانے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔ (محکمہ اعلیٰ تعلیم)

۱۶. پروفیسر (ڈاکٹر) ویریندر نارائن یادو اور دیگر ۶ (چھ) معزز اراکین، بی آراے بہار یونیورسٹی، مظفر پور اور ویرکونر سنگھ یونیورسٹی، آرا میں برتی جا رہی بے ضابطگی اور مالی بدعنوانی کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔ (محکمہ اعلیٰ تعلیم)

۱۷. جناب آفاق احمد و دیگر ۶ (چھ) معزز اراکین، ریاست کے منظور اور گرانٹ یافتہ مدرسوں کے کل ۱۱۲۸ کیٹگری کو دوبارہ اسپاٹ ویز یٹکلیشن سے آزاد رکھنے اور مدرسوں و سنسکرت اسکولوں کے تدریسی/غیر تدریسی ملازمین کی فوری طور پر تنخواہ ادائیگی کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔ (محکمہ تعلیم)



۱۸. جناب گھنشیام ٹھاکر، مدھونی ضلع کے تحت بنی پٹی بلاک کے برہمپورہ پنچایت واقع چتر اسکندری اسکول کی زمین کے تالاب میں کٹاؤ ہونے کے سبب طلباء کی حفاظت کے لیے اسکول کی گھیرا بندی (باؤنڈری وال) کرانے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔ (محکمہ تعلیم)

۱۹. جناب اشوک کمار، مگدھ یونیورسٹی کے تین کالجوں میں طلباء و طالبات سے ناجائز فیس کی وصولی کی جانچ کرانے اور سبھی قصوروار افراد کے خلاف کارروائی کئے جانے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔ (محکمہ اعلیٰ تعلیم)

۲۰. جناب سوربھ کمار، پٹنہ واقع جی پی او سے مہاویر مندر تک تعمیر سب وے کا نام ”پدم شری معزز اچار یہ کشور کنال سب وے“ رکھے جانے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔ (محکمہ شہری ترقیات و رہائش)

۲۱. جناب عبدالباری صدیقی، دربھنگہ ضلع کے پرانی منصفی، وارڈ نمبر-۲۵، تھانہ لہریا سرائے باشندہ آنجہانی فیض احمد کے قتل کی اعلیٰ سطحی جانچ کرانے اور اس میں ملوث سازش کنندوں کی گرفتاری کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔ (محکمہ داخلہ)

۲۲. پروفیسر بنجے کمار سنگھ و دیگر ۵ (پانچ) معزز اراکین، ٹیچروں کے ایڈجسٹمنٹ کے عمل میں سدھار، مکتوب نمبر-۴۲۰۷، مورخہ ۲۲ نومبر، ۲۰۲۵ کے تناظر میں وقت پر پروموشن دینے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔ (محکمہ تعلیم)

۲۳. پروفیسر بنجے کمار سنگھ و دیگر ۴ (چار) معزز اراکین، محکمہ تعلیم کے تحت کام کر رہے سرکاری ٹریننگ اداروں (DIET, PTEC, BITE, CTE) کے لکچرار کی سبکدوشی کی عمر ۶۰ سے ۶۵ سال کیے جانے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔ (محکمہ اعلیٰ تعلیم)

### وقفہ صفر سے تبدیل توجہ طلب اطلاع پر حکومت کا بیان

۲۴. ڈاکٹر سنیل کمار سنگھ کی ریاست کے بینکوں میں عام لوگوں کے ذریعہ جمع کی گئی رقم کا استعمال نوجوانوں اور بے روزگاروں کو صنعت لگانے میں قرض کی شکل میں استعمال کرنے سے متعلق، وقفہ صفر کی اطلاع سے تبدیل توجہ طلب اطلاع پر حکومت کا بیان۔ (محکمہ مالیات)

### مالی امور

#### مالی سال ۲۰۲۶-۲۷ کے پہلے سپلیمنٹری بجٹ تفصیلات پر عام بحث اور حکومت کا جواب

۲۵. مالی سال ۲۰۲۶-۲۷ کے پہلے سپلیمنٹری بجٹ تفصیلات پر عام بحث اور حکومت کا جواب

### مالی بل

#### بہار تصرفی (نمبر-۳) بل، ۲۰۲۶

۲۶. جناب وینجند پر سادیا دو، معزز نائب وزیر اعلیٰ (مالیات)، تجویز پیش کریں گے کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار تصرفی (نمبر-۳) بل، ۲۰۲۶ پر غور ہو۔



۲۷. جناب و بجنادر پر سادیا دو، معزز نائب وزیر اعلیٰ (مالیات)، تجویز پیش کریں گے کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار تفرنی (نمبر-۳) بل، ۲۰۲۶ پاس ہو۔

۲۸. دیگر انتہائی ضروری امر، اگر کوئی ہو۔

۲۹. اٹلہار تعزیت

مستند  
۲۳.۰۷.۲۰۲۶  
(شکرکار)

انچارج سکریٹری  
بہار قانون ساز کاؤنسل

23.07.2026

مکتوب نمبر- 49/2026-1072(3)

ترجمہ کردہ : اردو شعبہ، بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ

العین شریف  
۲۳/۷/۲۰۲۶

(اویناش امن)

سیکشن افسر

اردو شعبہ، بہار قانون ساز کاؤنسل





**बिहार विधान परिषद्**  
माननीय सभापति महोदय,

**ध्यानाकर्षण**  
213वां सत्र

राज्य सरकार द्वारा महिलाओं, अनुसूचित जातियों (SC) तथा अनुसूचित जनजातियों (ST) को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाता है। नियमानुसार, उक्त आरक्षित कोटि के छात्र-छात्राओं के शिक्षण शुल्क की शत-प्रतिशत भरपाई राज्य सरकार द्वारा सीधे महाविद्यालयों को दी जाती है। सरकार द्वारा अब तक संबद्ध महाविद्यालयों को इस शुल्क की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इस दीर्घकालिक प्रशासनिक देरी के कारण संबद्ध महाविद्यालयों के संचालन पर अत्यंत प्रतिकूल असर पड़ रहा है। महाविद्यालय के कर्मियों को आंतरिक स्रोतों से होने वाले मासिक वेतन एवं भत्तों का भुगतान पूरी तरह बंद हो चुका है। कर्मियों के ईपीएफ (EPF) एवं ईएसआई (ESI) खातों में दिए जाने वाले महाविद्यालय अंशदान का भुगतान अब संभव नहीं हो पाता है। कॉलेज के दैनिक खर्च जैसे बिजली बिल, चाक-डस्टर, प्रयोगशाला सामग्री और साफ-सफाई का भुगतान भी ठप हो गया है। वेतन न मिलने के कारण आज इन महाविद्यालयों के शिक्षकेत्तर और शैक्षणिक कर्मियों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

अतः इस दिशा में त्वरित संज्ञान लेते हुए बकाया क्षतिपूर्ति राशि अविलंब जारी किये जाने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

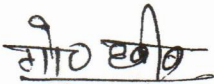
ह०/-  
डॉ० मदन मोहन झा  
स०वि०प०

ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-198/2026-1915(1)वि०प०।

दिनांक:-17.07.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ उच्च शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-24.07.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

  
16.07.2026  
(मो० हबीब)  
अवर सचिव  
बिहार विधान परिषद्





## بہار قانون ساز کاؤنسل

## توجہ طلب اطلاع

عزت مآب چیرمین،

ریاستی حکومت کی جانب سے خواتین، درج فہرست ذاتوں (SC) اور درج فہرست قبائل (ST) کو مفت تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ قاعدے کے مطابق، مذکورہ محفوظ زمرے کے طلبہ و طالبات کی تعلیمی فیس کی صد فیصد ادائیگی ریاستی حکومت کی جانب سے براہ راست کالجوں کو کی جاتی ہے۔ حکومت کی جانب سے تاحال ملحقہ کالجوں کو اس فیس کی تلافی کی رقم کی ادائیگی نہیں کی گئی ہے۔ اس طویل انتظامی تاخیر کے سبب ملحقہ کالجوں کے انتظام پر نہایت منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ کالج کے ملازمین کی داخلی ذرائع سے ادا کی جانے والی ماہانہ تنخواہ اور الاؤنسز کی ادائیگی مکمل طور پر بند ہو چکی ہے۔ ملازمین کے ای۔ پی۔ ایف (EPF) اور ای۔ ایس۔ آئی (ESI) کھاتوں میں کالج کی جانب سے جمع کیے جانے والے حصے کی ادائیگی اب ممکن نہیں ہو پاتی ہے۔ کالج کے یومیہ اخراجات مثلاً بجلی کے بل، چاک و ڈسٹر، لیبارٹری سامان اور صفائی سٹرائی کی ادائیگی بھی ٹھپ پڑ گئی ہے۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے آج ان کالجوں کے تدریسی اور غیر تدریسی ملازمین کے سامنے فاقہ کشی کی صورت حال پیدا ہو گئی ہے۔

لہذا، اس معاملے میں فوری اقدام کرتے ہوئے بقایا تلافی شدہ رقم بلا تاخیر جاری کیے جانے کے سلسلے میں حکومت سے ایوان میں واضح بیان کی مانگ کرتا ہوں۔

دستخط

ڈاکٹر مدن موہن جھا  
رکن، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 17.07.2026

مکتوب نمبر: 198/2026-1915(1)

معزز رکن، مورخہ 24.07.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

صحیح حبیب  
17.07.2026  
(محمد حبیب)

انڈر سکرٹری  
بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ





## बिहार विधान परिषद्

## ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

213वां सत्र

भोजपुर (आरा) जिलान्तर्गत वीर कुंवर सिंह स्मारक एवं म्यूजियम की जीर्ण-शीर्ण एवं दयनीय स्थिति देखकर मन द्रवित हो जाता है। 1857 की प्रथम आजादी की लड़ाई के नायक बाबू वीर कुंवर सिंह म्यूजियम में पर्यटकों के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। कई जगह इस स्मारक की जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया है। जिसपर जुआरियों, शराबियों और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। जहां दूसरे राज्यों ने अपने नायकों के स्मारकों का सौंदर्यीकरण कर आकर्षक बनाया है, जबकि हम अपने राष्ट्र नायकों को भूलते जा रहे हैं। इस स्मारक का सौंदर्यीकरण, मरम्मत तथा समुचित देखभाल इन महान राष्ट्र नायक को सच्ची श्रद्धाजलि होगी।

अतः इस संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/- महेश्वर सिंह, स०वि०प०

ह०/- डॉ० संजीव कुमार सिंह, स०वि०प०

ह०/- डॉ० अजय कुमार सिंह, स०वि०प०

ह०/- सूर्य कुमार शर्मा, स०वि०प०

ह०/- अनिल कुमार, स०वि०प०

ह०/- निवेदिता सिंह, स०वि०प०

ह०/- मो० खालीद अनवर, स०वि०प०

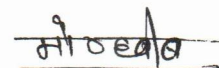
ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-199/2026-1916(1)वि०प०।

दिनांक:-17.07.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-24.07.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

  
16.07.2026

(मो० हबीब)

अवर सचिव

बिहार विधान परिषद्





## بہار قانون ساز کاؤنسل

## توجہ طلب اطلاع

عزت مآب چیرمین،

ضلع بھوپور (آرا) میں واقع ویر کنور سنگھ اسمارک اور میوزیم کی خستہ حالی اور ابتر حالت دیکھ کر دل رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے ہیرو بابو ویر کنور سنگھ میوزیم میں سیاحوں کے لیے بیت الخلا تک کا انتظام نہیں ہے۔ کئی جگہ اس اسمارک کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا گیا ہے۔ جہاں جوار یوں، شرابیوں اور سماج دشمن عناصر کا جمگھٹا لگا رہتا ہے۔ محکمہ فن و ثقافت کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی موثر کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی ہے۔ جہاں دیگر ریاستوں نے اپنے ہیروز کے اسمارکوں کی حسن کاری کر کے پُرکشش بنا دیا ہے، جبکہ ہم اپنے قومی ہیروز کو فراموش کرتے جا رہے ہیں۔ اس اسمارک کی تزئین کاری، مرمت اور مناسب دیکھ بھال ہی ان عظیم قومی ہیرو کو حقیقی خراج عقیدت پیش کرنا ہوگا۔

لہذا، اس سلسلے میں حکومت سے ایوان میں ایک واضح بیان کی مانگ کرتے ہیں۔

دستخط

مہیشو سنگھ، ڈاکٹر شیخو کمار سنگھ، ڈاکٹر اجے کمار سنگھ،

سوریہ کمار شرما، اہل کمار، نوید تاسنگھ، محمد خالد انور

اراکین، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 17.07.2026

مکتوب نمبر: 199/2026-1916(1)

معزز اراکین، مورخہ 24.07.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

26 جولائی 2026  
(محمد حبیب)

انڈر سکرٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ





## बिहार विधान परिषद्

## ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

213वां सत्र

सहरसा कोशी कमिशनरी का मुख्यालय है और शहरी क्षेत्र का फैलाव नगर निगम क्षेत्र में स्पष्ट दृष्टिगोचर है। शहर में तीन कन्या उच्च विद्यालय हैं, जिसमें दो अस्थायी भवन में चल रहा है। कन्या उच्च विद्यालय, पुरब बाजार सहरसा, जिला परिषद की भूमि में स्थित अस्थायी भवन में वर्षों से चल रहा है। अस्थाई भवन होने के कारण वर्ग कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी है। जिला पदाधिकारी ने वर्ष 2021 में पत्रांक 163-2/जि०प०, दिनांक 04-03-2021 द्वारा पंचायती राज विभाग से सहरसा, जिला परिषद की एक एकड़ भूमि के हस्तान्तरण का अनुरोध किया। यह अनुरोध जिला परिषद की बोर्ड मीटिंग में लिए गए निर्णय के आधार पर है। सरकार ने इस पर आश्वासन भी दिया है।

अतः लोकहित में उपर्युक्त वर्णित विषय पर सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/-

डॉ० अजय कुमार सिंह  
स०वि०प०

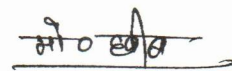
ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-200/2026-1917(1)वि०प०।

दिनांक:-17.07.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-24.07.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

  
16.07.2026

(मो० हबीब)  
अवर सचिव  
बिहार विधान परिषद्





## بہار قانون ساز کاؤنسل

## توجہ طلب اطلاع

عزت مآب چیرمین،

سہرسہ، کوئی کمشنری کا صدر دفتر ہے اور شہری علاقے کی توسیع میونسپل کارپوریشن کے حدود میں واضح طور پر دیکھی جاسکتی ہے۔ شہر میں تین گرلز ہائی اسکول ہیں، جن میں سے دو عارضی عمارتوں میں چل رہے ہیں۔ گرلز ہائی اسکول، پورب بازار، سہرسہ، ضلع کونسل کی زمین پر واقع عارضی عمارت میں برسوں سے چل رہا ہے۔ عارضی عمارت ہونے کے باعث کلاس روم، لیبارٹری، لائبریری اور دیگر بنیادی سہولیات کی کمی ہے۔ ضلع مجسٹریٹ نے سال 2021 میں مکتوب نمبر 21-163 ج-پ۔، مورخہ 04-03-2021 کے ذریعے محکمہ پنچایتی راج سے ضلع کونسل، سہرسہ کی ایک ایکڑ زمین کی منتقلی کی درخواست کی تھی۔ یہ درخواست ضلع کونسل کے بورڈ اجلاس میں لیے گئے فیصلے کی بنیاد پر ہے۔ حکومت نے اس سلسلے میں یقین دہانی بھی کرائی ہے۔

لہذا، عوامی مفاد کے پیش نظر، مذکورہ بالا موضوع پر حکومت سے ایوان میں ایک واضح بیان کی مانگ کرتا ہوں۔

دستخط

ڈاکٹر اے جے کمار سنگھ

رکن، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 17.07.2026

مکتوب نمبر: 200/2026-1917(1)

معزز رکن، مورخہ 24.07.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

محمد حبیب  
17.07.2026  
(محمد حبیب)

انڈر سکرٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ





## बिहार विधान परिषद्

## ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,  
माननीय सभापति महोदय.

213वां सत्र

राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत वैसे विशिष्ट/ नियोजित शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष से कम बची है, उन्हें विभागीय नियम के आलोक में सेवानिवृत्ति के उपरांत किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय लाभ या पेंशन की सुविधा से वंचित किया गया है। जबकि उन्होंने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु वर्षों तक अपना संपूर्ण समर्पण व योगदान दिया है तथा उनकी भी योग्यता वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों के समान ही है।

अतः राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत वैसे विशिष्ट/ नियोजित शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष से कम बची है, उनके लिए भी सेवानिवृत्ति के उपरांत सम्मानजनक पेंशन की व्यवस्था करने हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/-  
जीवन कुमार  
स०वि०प०

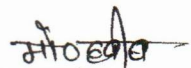
ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-201/2026-1918(1)वि०प०।

दिनांक:-17.07.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-24.07.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

  
16.07.2026

(मो० हबीब)  
अवर सचिव  
बिहार विधान परिषद्





## بہار قانون ساز کاؤنسل

## توجہ طلب اطلاع

عزت مآب چیرمین،

ریاست کے سرکاری اسکولوں میں خدمات انجام دے رہے ویسے خصوصی اٹھیکہ پر بحال اساتذہ اور لائبریرین جن کی مدت ملازمت ۱۰ برس سے کم بچی ہے، انہیں محکمہ جاتی قانون کے مطابق ریٹائرمنٹ کے بعد کسی بھی قسم کے مالی فوائد یا پنشن کی سہولت سے محروم رکھا گیا ہے۔ جبکہ انہوں نے ریاست کے نظام تعلیم کو مضبوط بنانے کے لیے برسوں تک اپنی مکمل وابستگی اور خدمات پیش کی ہیں اور ان کی بھی اہلیت موجودہ وقت میں خدمات انجام دے رہے اساتذہ کے مساوی ہی ہے۔

لہذا، ریاست کے سرکاری اسکولوں میں خدمات انجام دے رہے ویسے خصوصی اٹھیکہ پر بحال اساتذہ اور لائبریرین جن کی مدت ملازمت ۱۰ برس سے کم بچی ہے، ان کے لیے بھی ریٹائرمنٹ کے بعد باوقار پنشن کی فراہمی کرنے کے لیے حکومت سے ایوان میں واضح بیان کی مانگ کرتا ہوں۔

دستخط

جیون کمار

رکن، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 17.07.2026

مکتوب نمبر: 201/2026-1918(1)

معزز رکن، مورخہ 24.07.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

محمد حبیب  
17.07.2026  
(محمد حبیب)

انڈر سکرٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ









## बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

## ध्यानाकर्षण

213वां सत्र

बिहार सरकार के संकल्प सं० 1594 दिनांक-20/08/2014 के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अतिथि शिक्षक (सहायक प्राध्यापक) की नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता, योग्यता तथा प्रक्रिया के आधार पर आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्वीकृत पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा की गई है। स्थायी सहायक प्राध्यापक के आते ही अतिथि शिक्षकों की सेवा स्वतः समाप्त हो जाने की शर्त के साथ कार्य करने, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक की हो रही नियुक्ति में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं किये जाने एवं किसी प्रकार का वेटेज नहीं दिये जाने से सभी अतिथि शिक्षक अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कुछ अतिथि शिक्षकों को विश्वविद्यालय द्वारा हटा भी दिया गया है। जबकि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वहाँ के विश्वविद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवा नियमित भी की जा चुकी है। बिहार में भी 1976, 1980 तथा 1982 में अस्थाई सहायक प्राध्यापकों की सेवा नियमित की जा चुकी है।

अतः राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षक (सहायक प्राध्यापक) की सेवा समायोजन हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/-

नवल किशोर यादव

स० वि० प०

ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-202/2026-1919(1)वि० प०।

दिनांक:-17.07.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ उच्च शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-24.07.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

  
16.07.2026

(मो० हबीब)

अवर सचिव

बिहार विधान परिषद्





## بہار قانون ساز کاؤنسل

## توجہ طلب اطلاع

عزت مآب چیرمین،

حکومت بہار کی قرارداد نمبر 1594 مورخہ 20/08/2014 کی ہدایات کے مطابق یونیورسٹی گرانٹس کمیشن اور بہار پبلک سروس کمیشن کی جانب سے گیسٹ ٹیچر (اسٹنٹ پروفیسر) کی تقرری کے لیے متعینہ اہلیت، قابلیت اور طریقہ کار کی بنیاد پر ریزرویشن روسٹر پر عمل کرتے ہوئے ریاست کی مختلف یونیورسٹیوں میں منظور شدہ عہدوں پر گیسٹ ٹیچروں کی تقرری یونیورسٹی سلیکشن کمیٹی کے ذریعے کی گئی ہے۔ مستقل اسٹنٹ پروفیسر کی تقرری ہوتے ہی مہمان اساتذہ کی خدمات از خود ختم ہو جانے کی شرط کے ساتھ کام کرنے، بہار ریاستی یونیورسٹی سروس کمیشن کی جانب سے اسٹنٹ پروفیسر کی جاری تقرریوں میں خدمات انجام دے رہے گیسٹ ٹیچروں کے لیے الگ سے کوئی انتظام نہیں کیے جانے اور کسی قسم کی وٹچ نہیں دیے جانے سے تمام گیسٹ ٹیچر اپنے مستقبل کے حوالے سے تشویش میں مبتلا ہیں۔ بعض گیسٹ ٹیچروں کو یونیورسٹیوں کی جانب سے برطرف بھی کر دیا گیا ہے۔ جبکہ ہریانہ، ہماچل پردیش اور مغربی بنگال کی حکومتوں نے وہاں کی یونیورسٹیوں میں خدمات انجام دینے والے گیسٹ ٹیچروں کی خدمات کو مستقل بھی کر دیا ہے۔ بہار میں بھی سال 1976، 1980 اور 1982 میں عارضی اسٹنٹ پروفیسروں کی خدمات مستقل کی جا چکی ہیں۔

لہذا، ریاست کی مختلف یونیورسٹیوں میں خدمات انجام دے رہے گیسٹ ٹیچر (اسٹنٹ پروفیسر) کی خدمات کے انضمام کے لیے حکومت سے ایوان میں واضح بیان کی مانگ کرتا ہوں۔

دستخط

نول کشور یادو

رکن، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 17.07.2026

مکتوب نمبر: 202/2026-1919(1)

محمد حبیب  
17.07.2026  
(محمد حبیب)

انڈر سکرٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ

معزز رکن، مورخہ 24.07.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔





## बिहार विधान परिषद्

## ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

213वां सत्र

बिहार सरकार ने राज्य के हर प्रखंड में कम-से-कम एक डिग्री कॉलेज खोलने की योजना बनाई है। यह निर्णय सरकार के सात निश्चय-2 कार्यक्रम के तहत शिक्षा के लोकतांत्रिकरण और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं की उच्च शिक्षा तक पहुँच को आसान बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। जिन प्रखंडों में एक भी डिग्री कॉलेज सरकारी या मान्यता प्राप्त नहीं है, उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है, परंतु सरकार द्वारा प्रखंडों में पूर्व से संचालित हो रहे अनुदानित कॉलेजों को सीधे तौर पर अधिग्रहण करने से बचना चाह रही है। अनुदान नीति के कारण वित्त रहित डिग्री कॉलेजों में वहाँ के शिक्षकों और कर्मचारियों को नियमित सरकारी वेतन नहीं मिलता है, वे केवल छात्रों की फीस और सरकार द्वारा मिलने वाले अनुदान पर निर्भर रहते हैं। राज्य में वित्त रहित डिग्री कॉलेजों में सारी आधारभूत संरचनाएँ उपलब्ध है तो अलग से डिग्री कॉलेज का भवन बनाने की क्या आवश्यकता है, उन्हीं वित्त रहित डिग्री कॉलेजों को सरकार द्वारा सीधे तौर पर पूर्ण अधिग्रहण कर लेना चाहिए।

अतः इस संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/-

राजीव कुमार  
स०वि०प०

ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-203/2026-1920(1)वि०प०।

दिनांक:-17.07.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ उच्च शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-24.07.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

मौ० हबीब  
16.07.2026  
(मौ० हबीब)  
अवर सचिव  
बिहार विधान परिषद्





## بہار قانون ساز کاؤنسل

## توجہ طلب اطلاع

عزت مآب چیرمین،

حکومت بہار نے ریاست کے ہر بلاک میں کم از کم ایک ڈگری کالج قائم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ فیصلہ حکومت کے سات نقشے-۲ پروگرام کے تحت تعلیم کے جمہوری فروغ اور دیہی علاقوں کے طلبہ و طالبات کی اعلیٰ تعلیم تک رسائی کو آسان بنانے کے مقصد سے لیا گیا ہے۔ جن بلاکوں میں ایک بھی سرکاری یا منظور شدہ ڈگری کالج نہیں ہے، انہیں ترجیح دی جا رہی ہے، لیکن حکومت کے ذریعہ بلاکوں میں پہلے سے قائم امداد یافتہ کالجوں کو براہ راست اپنی تحویل میں لینے سے بچنا چاہ رہی ہے۔ امدادی پالیسی کے باعث غیر امداد یافتہ ڈگری کالجوں میں وہاں کے اساتذہ اور ملازمین کو باقاعدہ سرکاری تنخواہ نہیں ملتی ہے، وہ صرف طلبہ کی فیس اور حکومت کی جانب سے دی جانے والی امداد پر منحصر رہتے ہیں۔ ریاست میں غیر امداد یافتہ ڈگری کالجوں میں تمام بنیادی ڈھانچے موجود ہیں تو الگ سے ڈگری کالج کی عمارت تعمیر کرنے کی کیا ضرورت ہے، انہی غیر امداد یافتہ ڈگری کالجوں کو حکومت کے ذریعہ براہ راست مکمل طور پر اپنی تحویل میں لے لینا چاہیے۔

لہذا، اس سلسلے میں حکومت سے ایوان میں واضح بیان کی مانگ کرتا ہوں۔

دستخط

راجیو کمار

رکن، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 17.07.2026

مکتوب نمبر: 203/2026-1920(1)

معزز رکن، مورخہ 24.07.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

محمد حبیب  
(محمد حبیب)  
17.7.2026

انڈر سکرٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ





## बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

## ध्यानाकर्षण

213वां सत्र

वर्ष 2003 तथा 2005 में मानदेय पर नियोजित शिक्षामित्रों एवं बाद के वर्षों में नियुक्त नियोजित शिक्षकों को वर्ष 2015 में जो वेतनमान दिया गया उसमें उनके लिए किसी प्रकार के पेंशन की व्यवस्था नहीं की गई। लगातार आंदोलनों के बाद 1 सितंबर 2020 से इन्हें EPF से आच्छादित किया गया और 2023 से नियुक्त हुए विद्यालय अध्यापकों और 2025 से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों को NPS से आच्छादित किया गया। इन योजनाओं के तहत लगातार 10 वर्षों तक अंशदान जमा किए जाने के पश्चात ही पेंशन देने की व्यवस्था है। वहीं NPS में पेंशन राशि की कोई निश्चितता नहीं है जिस कारण प्रत्येक महीने सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों को न तो कोई सेवांत लाभ दिया जा रहा है और न ही उनके लिए किसी प्रकार के पेंशन की व्यवस्था है।

अतः सेवानिवृत्त होने वाले सभी शिक्षकों के लिए सेवांत लाभ और निश्चित पेंशन देने के साथ ही विद्यालय अध्यापकों/विशिष्ट शिक्षकों/प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के लिए पुरानी पेंशन देने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/-

वंशीधर ब्रजवासी

स०वि०प०

ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-204/2026-1921(1)वि०प०।

दिनांक:-17.07.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-24.07.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

16.07.2026

(मो० हबीब)

अवर सचिव

बिहार विधान परिषद्





## بہار قانون ساز کاؤنسل

## توجہ طلب اطلاع

عزت مآب چیرمین،

سال 2003 اور 2005 میں نہایت قلیل اعزاز یہ پریٹھیکہ پر بحال سکھامتروں اور بعد کے برسوں میں تقرر پانے والے ٹھیکہ پر بحال اساتذہ کو سال 2015 میں جو کم از کم مصنوعی شرح تنخواہ دیا گیا اس میں ان کے لیے کسی قسم کی پنشن کا انتظام نہیں کیا گیا۔ مسلسل تحریکوں کے بعد یکم ستمبر 2020 سے انہیں EPF کے تحت شامل کیا گیا، اور سال 2023 سے تقرر پانے والے اسکولی اساتذہ اور سال 2025 سے خصوصی اساتذہ بننے والے اساتذہ کو NPS کے تحت لایا گیا۔ ان منصوبوں کے تحت مسلسل دس برسوں تک چندہ جمع کیے جانے کے بعد ہی پنشن دینے کا نظم ہے۔ وہیں NPS میں پنشن کی رقم کی کوئی قطعیت نہیں ہے جس کے باعث ہر ماہ سبکدوش ہونے والے اساتذہ کو نہ تو کوئی ریٹائرمنٹ کے فوائد فراہم کیے جا رہے ہیں اور نہ ہی ان کے لیے کسی قسم کی پنشن کا انتظام ہے۔

لہذا، سبکدوش ہونے والے تمام اساتذہ کے لیے ریٹائرمنٹ کے فوائد اور یقینی پنشن دینے کے ساتھ ہی اسکولی اساتذہ خصوصی اساتذہ، ہیڈ ٹیچروں اور ہیڈ ماسٹروں کے لیے پرانی پنشن بحال کیے جانے کے سلسلے میں حکومت سے ایوان میں واضح بیان کی مانگ کرتا ہوں۔

دستخط

ونشی دھر برجوا سی

رکن، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 17.07.2026

مکتوب نمبر: 204/2026-1921(1)

معزز رکن، مورخہ 24.07.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

محمد حبیب  
17.07.2026  
(محمد حبیب)

انڈر سکرٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ









## बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

## ध्यानाकर्षण

213वां सत्र

राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में समाज की सहभागिता, चेयर ऑफ एक्सीलेंस (Chair of Excellence) तथा एलुमनाई (पूर्व छात्र) संगठन की स्थापना एवं सुदृढीकरण की आवश्यकता है। केंद्र सरकार द्वारा देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एनआईआरएफ (NIRF) रैंकिंग वाले लगभग 100 शिक्षण संस्थानों में पीएम चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की पहल की जा रही है। किंतु बिहार के अधिकांश विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय वर्तमान में ऐसी रैंकिंग प्राप्त नहीं कर सके हैं, जिसके कारण उन्हें इस योजना का अपेक्षित लाभ मिलने की संभावना सीमित है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को पहल करते हुए बिहार के सभी विश्वविद्यालयों एवं प्रमुख महाविद्यालयों में राज्य स्तर पर चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की नीति बनानी चाहिए। इससे शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार एवं उद्योग-जगत के साथ संस्थानों का समन्वय सुदृढ होगा।

इसके अतिरिक्त, बिहार के उच्च शिक्षण संस्थानों से प्रतिवर्ष लाखों छात्र-छात्राएँ शिक्षा प्राप्त कर देश-विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। अधिकांश पूर्व छात्रों को अपने शिक्षण संस्थान के विकास में योगदान देने की स्वाभाविक इच्छा रहती है। भारत में हाल के वर्षों में आईआईटी, आईआईएम एवं अन्य प्रमुख संस्थानों में पूर्व छात्रों का योगदान उल्लेखनीय रहा है। इसलिए आवश्यकता है कि राज्य सरकार सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में एलुमनाई एसोसिएशन के गठन एवं सशक्त संचालन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/-

सर्वेश कुमार

स०वि०प०

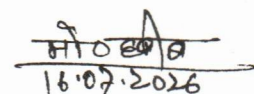
ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-205/2026-1922(1)वि०प०।

दिनांक:-17.07.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ उच्च शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-24.07.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

  
16.07.2026

(मो० हबीब)

अवर सचिव

बिहार विधान परिषद्





## بہار قانون ساز کاؤنسل

## توجہ طلب اطلاع

عزت مآب چیرمین،

ریاست کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں سماج کی حصہ داری، چیئر آف ایکسی لنس (Chair of Excellence) اور ایلومنائی (سابق طلباء) تنظیم کا قیام اور استحکام کاری کی ضرورت ہے۔ مرکزی حکومت کے ذریعہ ملک کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں این آئی آر ایف (NIRF) رینٹنگ والے تقریباً ۱۰۰ تعلیمی اداروں میں پی ایم چیئر آف ایکسی لنس قائم کرنے کی پہل کی جا رہی ہے۔ مگر بہار کی بیشتر یونیورسٹیوں اور کالجوں میں حال کے دنوں میں ایسی رینٹنگ حاصل نہیں کر سکے ہیں، جس کے سبب انہیں اس منصوبہ سے حسب توقع فائدہ ملنے کا امکان محدود ہے۔ ایسی صورت میں ریاستی حکومت کو پہل کرتے ہوئے بہار کی سبھی یونیورسٹیوں اور اہم کالجوں میں ریاستی سطح پر چیئر آف ایکسی لنس قائم کرنے کی پالیسی بنانی چاہئے۔ اس سے تعلیم، تحقیق اور انوویشن و صنعتی دنیا کے ساتھ اداروں کا اشتراک مضبوط ہوگا۔

اس کے علاوہ، بہار کے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے ہر سال لاکھوں طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر کے ملک و بیرون ملک میں مختلف شعبوں میں اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ بیشتر سابق طلباء کو اپنے تعلیمی ادارے کے فروغ میں تعاون دینے کی از خود خواہش رہتی ہے۔ ہندوستان میں حال کے سالوں میں آئی آئی ٹی، آئی ایم اور دیگر اہم اداروں میں سابق طلباء کی تعاون قابل ذکر رہی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ریاست کے سبھی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں الومنائی ایسوسی ایشن کی تشکیل و مستحکم نظم کے لیے واضح رہنما اصول جاری کریں۔ لہذا، مذکورہ بالا حقائق کے سلسلے میں حکومت سے ایوان میں ایک واضح بیان کی مانگ کرتا ہوں۔

دستخط

سرولیش کمار

رکن، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 17.07.2026

مکتوب نمبر: 205/2026-1922(1)

معزز رکن، مورخہ 24.07.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

محجو حبیب  
(محمد حبیب)

انڈر سکرٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ





## बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

## ध्यानाकर्षण

213वां सत्र

बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर और वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के वित्तीय अराजकता का मामला C.A.G. की रिपोर्ट से पता चलता है। इसके साथ ही बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय ने 2024-25 सत्र के लिए UMIS को नौ करोड़ रुपये का भुगतान किया है और 2026-27 के लिए बजटीय प्रावधान 19 करोड़ का किया गया है। दूसरी ओर दिनांक-09.07.2026 से आरंभ मूल्यांकन कार्य में किसी भी प्रकार के भत्ता का प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। 211 प्रखंडों में स्थापित राजकीय महाविद्यालयों में अनियमित तरीके से प्रतिनियुक्ति की गई। 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षक की प्रतिनियुक्ति 12 जून को 150 कि०मी० दूर कर दी गई। अकादमिक अराजकता की स्थिति है कि NEP 2020 लागू करने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की गई। VAC, AEC, SEC का पाठ्यक्रम नहीं बना, नोडल विभाग अधिसूचित नहीं, पढाने और मूल्यांकन करने वाले की सूची अधिसूचित नहीं, इंटरनशिप की कोई नीति नहीं, विद्यार्थियों से इस मद में पैसा बसूली की जा रही है। वास्तविक प्रशिक्षण की कोई कोशिश नहीं है। पैट परीक्षा 2023-24 के परीक्षाफल का प्रकाशन तीन बार बदलकर प्रकाशित किया जाना प्रशासनिक अराजकता को दर्शाता है।

अतः उक्त दोनों विश्वविद्यालयों में बरती जा रही अराजकता और वित्तीय अनियमितता के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/- प्रो०(डॉ०) वीरेन्द्र नारायण यादव, स०वि०प०

ह०/- आफाक अहमद, स०वि०प०

ह०/- डॉ० संजीव कुमार सिंह, स०वि०प०

ह०/- नवल किशोर यादव, स०वि०प०

ह०/- वंशीधर ब्रजवासी, स०वि०प०

ह०/- डॉ० मदन मोहन झा, स०वि०प०

ह०/- प्रो० संजय कुमार सिंह, स०वि०प०

ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-209/2026-1924(1)वि०प०।

दिनांक:-17.07.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ उच्च शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-24.07.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

मो० हबीब

16.07.2026

(मो० हबीब)

अवर सचिव

बिहार विधान परिषद्





## بہار قانون ساز کاؤنسل

## توجہ طلب اطلاع

عزت مآب چیرمین،

بی آراے بہار یونیورسٹی، مظفر پور اور ویرکٹورسنگھ یونیورسٹی، آرا کی مالی بے ضابطگی کا معاملہ CAG کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بی آراے بہار یونیورسٹی نے ۲۵-۲۰۲۳ سیشن کے لیے UMIS کو ۹ کروڑ روپے کی ادائیگی کی ہے اور ۲۷-۲۰۲۶ کے لیے بجٹ کا نظم ۱۹ کروڑ کا کیا گیا ہے۔ دوسری طرف مورخہ ۹ جولائی، ۲۰۲۶ سے شروع جانچ کے کام میں کسی بھی طرح کے جھٹکے کے نظم کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ۲۱۱ بلاکوں میں مقیم سرکاری کالجوں میں بے ضابطہ طریقے سے ماموری کی گئی۔ ۳۰ جون کو سبکدوش ہو رہے ٹیچر کی ماموری ۱۲ جون کو ۱۵۰ کیلو میٹر دور کر دی گئی۔ اکیڈمک بے ضابطگی کی صورت ہے کہ NEP 2020 نافذ کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ VAC, AEC, SEC کا نصاب تعلیم نہیں بنا، نوڈل محکمہ نوٹیفائنڈ نہیں، پڑھانے اور جانچ کرنے والے کی فہرست نوٹیفائنڈ نہیں، انٹرن شپ کی کوئی پالیسی نہیں، طلباء سے اس مد میں پیسہ وصولی کی جارہی ہے۔ حقیقی ٹریننگ کی کوئی کوشش نہیں ہے۔ پیٹ اکڑام ۲۳-۲۰۲۳ کے نتائج امتحان کی اشاعت تین بار بدل کر شائع کیا جانا، ایڈمنسٹریٹو بد نظمی کو ثابت کرتا ہے۔

لہذا، مذکورہ دونوں یونیورسٹیوں میں برتی جارہی بے ضابطگی اور مالی بے ضابطگی کے سلسلے میں حکومت سے ایوان میں ایک واضح بیان

کی مانگ کرتے ہیں۔

دستخط

پروفیسر (ڈاکٹر) ویریندر نارائن یادو، آفاق احمد،  
ڈاکٹر سنجیو کمار سنگھ، نول کشور یادو، نوشی دھر برجوا سی،  
ڈاکٹر مدن موہن جھا، پروفیسر سنجے کمار سنگھ  
اراکین، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 17.07.2026

مکتوب نمبر: 209/2026-1924(1)

معزز اراکین، مورخہ 24.07.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

محمد حبیب  
17.07.2026  
(محمد حبیب)

انڈر سکرٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ





## बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

## ध्यानाकर्षण

213वां सत्र

राज्य में संचालित प्रस्वीकृत एवं अनुदानित मदरसों का विभागीय संकल्प सं. 1090 दिनांक 29.11.1980 में निर्धारित शर्तों के अनुरूप पुनः स्थलीय निरीक्षण करने का आदेश संबंधित जिला के जिला पदाधिकारियों को दिया गया है। ज्ञातव्य हो कि राज्य के अंतर्गत संचालित प्रस्वीकृत एवं अनुदानित मदरसों 1128 कोटि, की प्रस्वीकृति वर्ष 1990 के पूर्व ही विभागीय संकल्प सं. 1790 दिनांक 19.12.1977 के आलोक में दी जा चुकी है और राज्य के सभी प्रस्वीकृत मदरसों के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतनादि का भुगतान किया जाता रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 1216 दिनांक 01.06.2026 के द्वारा त्रिस्तरीय जांच समिति गठित कर प्रस्वीकृत एवं अनुदानित मदरसों के 1128 कोटि का भी पुनः स्थलीय जांच कराना उचित प्रतीत नहीं होता है। जांच के नाम पर विगत चार महीनों से वेतन का भुगतान भी रोक कर रखा गया है। इसी के साथ-साथ संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों का भी भुगतान लंबित है।

अतः शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 1090 दिनांक 29.11.1980 के आलोक में पूर्व में जांच की गई मदरसों के कुल 1128 कोटि को जांच से मुक्त करने के साथ-साथ जांच के नाम पर विगत चार माह से राज्य में संचालित प्रस्वीकृत एवं अनुदानित मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों का लंबित वेतनादि का भुगतान करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/- आफाक अहमद, स०वि०प०

ह०/- प्रो० संजय कुमार सिंह, स०वि०प०

ह०/- प्रो०(डॉ०) वीरेन्द्र नारायण यादव, स०वि०प०

ह०/- डॉ० संजीव कुमार सिंह, स०वि०प०

ह०/- डॉ० मदन मोहन झा, स०वि०प०

ह०/- वंशीधर ब्रजवासी, स०वि०प०

ह०/- नवल किशोर यादव, स०वि०प०

ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-210/2026-1925(1)वि०प०।

दिनांक:-17.07.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-24.07.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

*मो० हबीब*  
16.07.2026

(मो० हबीब)  
अवर सचिव  
बिहार विधान परिषद्





## بہار قانون ساز کاؤنسل عزت مآب چیرمین،

## توجہ طلب اطلاع

ریاست میں چل رہے منظور شدہ اور گرانٹ یافتہ مدرسوں کا محکمہ جاتی روٹولوشن نمبر-۱۰۹۰، مورخہ ۲۹ نومبر، ۱۹۸۰ میں متعینہ شرطوں کے مطابق پھر سے اسپاٹ کا معائنہ کرنے کا حکم سے متعلق ضلع کے ضلع افسران کو دیا گیا ہے۔ واضح ہو کہ ریاست کے تحت چل رہے منظور شدہ اور گرانٹ یافتہ مدرسوں ۱۱۲۸ کنٹیگری، کی منظوری سال ۱۹۹۰ کے قبل ہی محکمہ جاتی روٹولوشن نمبر-۱۷۹۰، مورخہ ۱۹ دسمبر، ۱۹۷۷ کے تناظر میں دی جا چکی ہے اور ریاست کے سبھی منظور مدرسوں کے تدریسی وغیرہ کی ادائیگی کی جارہی ہے لیکن محکمہ تعلیم حکومت بہار کے مراسلہ نمبر-۱۲۱۶، مورخہ یکم جون، ۲۰۲۶ کے ذریعہ سہ سطحی جانچ کمیٹی تشکیل کر کے منظور اور گرانٹ یافتہ مدرسوں کے ۱۱۲۸ کنٹیگری کا بھی پھر سے اسپاٹ ویری فیکشن کرانا مناسب نہیں ہے۔ جانچ کے نام پر گزشتہ مہینوں سے تنخواہ کی ادائیگی بھی روک کر رکھی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سنسکرت اسکولوں کے ٹیچروں کی بھی تنخواہ زیر التوا ہے۔

لہذا، محکمہ تعلیم کے روٹولوشن نمبر-۱۰۹۰، مورخہ ۲۹ نومبر، ۱۹۸۰ کے تناظر میں قبل میں جانچ کئے گئے مدرسوں کی کل ۱۱۲۸ کنٹیگری کو جانچ سے الگ رکھنے کے ساتھ ساتھ جانچ کے نام پر گزشتہ ۴ مہینے سے ریاست میں چل رہے منظور شدہ اور گرانٹ یافتہ مدرسوں اور سنسکرت اسکولوں کے تدریسی وغیرہ تدریسی ملازمین کی زیر التوا تنخواہ وغیرہ کی ادائیگی کرنے کے سلسلے میں حکومت سے ایوان میں ایک واضح بیان کی مانگ کرتے ہیں۔

دستخط

آفاق احمد، پروفیسر بنجے کمار سنگھ، پروفیسر (ڈاکٹر) ویریندر نارائن یادو

ڈاکٹر منجیو کمار سنگھ، ڈاکٹر مدن موہن جھا

ونشی دھر برجوا سی، نول کشور یادو

اراکین، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 17.07.2026

مکتوب نمبر: 210/2026-1925(1)

معزز اراکین، مورخہ 24.07.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

محمد حبیب  
17.7.2026  
(محمد حبیب)

انڈر سکرٹری  
بہار قانون ساز کاؤنسل





## बिहार विधान परिषद्

## ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

213वां सत्र

मधुबनी जिला अंतर्गत बेनीपट्टी प्रखंड की ब्रह्मपुरा पंचायत स्थित चतरा मध्य विद्यालय की भूमि का कटाव सटे हुए तालाब के कारण लगातार हो रहा है, जिससे विद्यालय परिसर का भू-क्षरण तेजी से हो रहा है। कटाव के कारण विद्यालय आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं के साथ दुर्घटनाएँ होने की आशंका बनी रहती है तथा कई बच्चे दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं। इस कारण विद्यालय में पठन-पाठन का वातावरण भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। विद्यालय परिसर की सुरक्षा एवं छात्र-छात्राओं के जीवन की रक्षा के लिए उक्त विद्यालय की अविलंब घेराबंदी कराया जाना अत्यंत आवश्यक है।

अतः इस संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/-

घनश्याम ठाकुर  
स०वि०प०

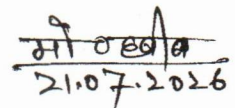
ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-216/2026-2009(1)वि०प०।

दिनांक:-21.07.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-24.07.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

  
21.07.2026

(मो० हबीब)  
अवर सचिव  
बिहार विधान परिषद्





## بہار قانون ساز کاؤنسل عزت مآب چیرمین،

## توجہ طلب اطلاع

مدھوبنی ضلع کے تحت بنی پٹی بلاک کی برہمپورہ پنچایت واقع چتر اسکندری اسکول کی زمین کا کٹاؤ سٹے ہوئے تالاب کے سبب ہو رہا ہے، جس سے اسکول کیمپس کی زمین تیزی سے کٹ رہی ہے۔ کٹاؤ کے سبب اسکول آنے جانے والے طلباء و طالبات کے ساتھ حادثہ ہونے کا خدشہ بنا رہتا ہے اور کئی بچے حادثہ کے شکار ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے اسکول میں درس و تدریس کے ماحول پر منفی اثر ہو رہا ہے۔ اسکول کیمپس کی حفاظت اور طلباء و طالبات کی زندگی کے تحفظ کے لیے مذکورہ اسکول کی فوراً گھیرا بندی کرائی جانی انتہائی ضروری ہے۔ لہذا، اس سلسلے میں حکومت سے ایوان میں ایک واضح بیان کی مانگ کرتا ہوں۔

دستخط  
گھنشیام ٹھاکر  
رکن، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 21.07.2026

مکتوب نمبر: 216/2026-2009(1)

معزز رکن، مورخہ 24.07.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

صحیح حبیب  
(21.07.2026)  
(محمد حبیب)

انڈر سیکریٹری  
بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ





## बिहार विधान परिषद्

## ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

213वां सत्र

मगध विश्वविद्यालय से संबद्ध राजेन्द्र मेमोरियल महिला कॉलेज, नवादा, एस०एन० सिन्हा कॉलेज, वारसलीगंज, टी०एस० कॉलेज, हिसुआ एवं के०एल०एस० कॉलेज, नवादा में SC/ST एवं अन्य सभी छात्रों से अनियमित तरीके से कई प्रकार के शुल्क के रूप में अवैध राशि लिया जा रहा है। इस प्रकरण में महाविद्यालय के प्राचार्य के साथ-साथ अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी की संलिप्तता है। उक्त महाविद्यालयों में अवैध शुल्क लिये जाने के संबंध में मगध विश्वविद्यालय, बोध गया छात्र कल्याण संघ के अध्यक्ष के द्वारा ज्ञापांक- 59/26 दिनांक- 27.05.2026 के द्वारा शिकायत भी दर्ज की गई है।

अतः उपर्युक्त वर्णित महाविद्यालयों के द्वारा छात्र-छात्राओं के नियम के विपरीत अनधिकृत शुल्क वसूली किये जाने की जांच कराने एवं इसमें संलग्न सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/-

अशोक कुमार  
स०वि०प०

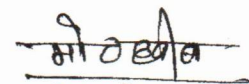
ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-218/2026-2008(1)वि०प०।

दिनांक:-21.07.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ उच्च शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-24.07.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

  
21.07.2026  
(मो० हबीब)  
अवर सचिव  
बिहार विधान परिषद्





## بہار قانون ساز کاؤنسل عزت مآب چیرمین،

## توجہ طلب اطلاع

مگدھ یونیورسٹی سے ملحق راجندر میموریل مہیلا کالج، نوادہ، ایس این سنہا کالج، وارسلی گنج، ٹی ایس کالج، ہسو اور کے ایل ایس کالج، نوادہ میں ایسی سی ایس ایس ٹی و دیگر سبھی طلباء سے بے ضابطہ طریقے سے کئی طرح کی فیس کی شکل میں ناجائز رقم لی جا رہی ہے۔ اس واقعہ میں کالج کے پرنسپل کے ساتھ ساتھ دیگر متعلقہ افسر و ملازمین ملوث ہیں۔ مذکورہ کالجوں میں ناجائز فیس لیے جانے کے سلسلے میں مگدھ یونیورسٹی، بودھ گیا طلباء فلاحی ایسوسی ایشن کے چیرمین کے ذریعہ مکتوب نمبر-۵۹/۲۶، مورخہ ۲۷ مئی، ۲۰۲۶ کے ذریعہ شکایت بھی درج کی گئی ہے۔ لہذا، مذکورہ بالا کالجوں کے ذریعہ طلباء و طالبات کے ضابطہ کے برخلاف ناجائز فیس وصول کئے جانے کی جانچ کرانے اور اس میں ملوث سبھی قصورواروں کے خلاف کارروائی کیے جانے کے سلسلے میں حکومت سے ایوان میں ایک واضح بیان کی مانگ کرتا ہوں۔

دستخط

اشوک کمار

رکن، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 21.07.2026

مکتوب نمبر: (1) 218/2026-2008

معزز رکن، مورخہ 24.07.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

محمد حبیب  
21.07.2026  
(محمد حبیب)

انڈر سیکریٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ





## बिहार विधान परिषद्

## ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

213वां सत्र

पद्मश्री श्रद्धेय आचार्य किशोर कुणाल बिहार की उन महान विभूतियों में से थे, जिन्होंने अपने प्रशासनिक जीवन के साथ-साथ धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं मानवीय सेवा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया। पटना महावीर मंदिर के मार्गदर्शक एवं प्रेरणास्रोत के रूप में उन्होंने न केवल मंदिर के विकास को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया, बल्कि महावीर कैसर संस्थान, महावीर आरोग्य संस्थान, ज्ञान निकेतन सहित अनेक जनकल्याणकारी संस्थानों के माध्यम से लाखों निर्धन, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों के जीवन में आशा का संचार किया। उनकी सेवाएँ जाति, धर्म और वर्ग की सीमाओं से परे सम्पूर्ण मानवता के लिए समर्पित थीं। आचार्य किशोर कुणाल का व्यक्तित्व बिहार की सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक चेतना का प्रतीक रहा है। उनके असाधारण योगदान, निस्वार्थ सेवा, ईमानदार प्रशासनिक जीवन तथा लोक कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण के कारण वे बिहार ही नहीं, पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।

अतः पटना स्थित जी.पी.ओ. से महावीर मंदिर तक निर्मित सबवे का नाम "पद्मश्री श्रद्धेय आचार्य किशोर कुणाल सबवे" रखे जाने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/-

सौरभ कुमार  
स०वि०प०

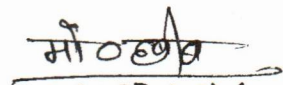
ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-230/2026-2011(1)वि०प०।

दिनांक:-22.07.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-24.07.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

  
22.07.2026

(मो० हबीब)

अवर सचिव

बिहार विधान परिषद्





## بہار قانون ساز کاؤنسل

عزت مآب چیرمین،

## توجہ طلب اطلاع

پدم شری معزز آچاریہ کشور کنال بہار کی ان عظیم شخصیات میں سے تھے، جنہوں نے اپنے ایڈمنسٹریٹو زندگی کے ساتھ ساتھ مذہبی، سماجی، تعلیمی و انسانی خدمات کے شعبہ میں ناقابل فراموش تعاون دیا۔ پٹنہ مہاویر مندر کے عظیم رہنما اور مثالی شخصیت کی شکل میں انہوں نے نہ صرف مندر کی ترقی کوئی اونچائیوں تک پہنچایا بلکہ مہاویر کینسر سنسٹھان، مہاویر آروگ سنسٹھان، گیان نکیتن سمیت متعدد عوامی فلاحی اداروں کے توسط سے لاکھوں غریب، بے سہارا اور ضرورت مندوں کی زندگی میں امید کی روشنی پیدا کی۔ ان کی خدمات ذات، مذہب اور طبقہ کی حدود سے پرے پوری انسانیت کے لیے وقف تھی۔ آچاریہ کشور کنال کی شخصیت بہار کی ثقافت، مذہبی و سماجی بیداری کی علامت ہے۔ ان کی ناقابل فراموش خدمات اور بے لوث خدمت، ایماندار ایڈمنسٹریٹو زندگی اور عوامی فلاح کے تئیں تا عمر خدمات کے سبب وہ بہار ہی نہیں، پورے ملک کے لیے قابل تقلید تھے۔

لہذا، پٹنہ واقع جی پی او سے مہاویر مندر تک تعمیر سب وے کا نام ”پدم شری معزز آچاریہ کشور کنال سب وے“ رکھے جانے کے سلسلے میں حکومت سے ایوان میں ایک واضح بیان کی مانگ کرتا ہوں۔

دستخط

سورجھ کمار

رکن، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 22.07.2026

مکتوب نمبر: 230/2026-2011(1)

معزز رکن، مورخہ 24.07.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

محمد حبیب  
22.07.2026  
(محمد حبیب)

انڈر سکرٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ





## बिहार विधान परिषद्

## ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

213वां सत्र

स्व० फैज़ अहमद, निवासी पुरानी मुंसफी, वार्ड सं०-25, थाना- लहेरियासराय, जिला- दरभंगा, मिलेनियम यामाहा शोरूम, चंदन पट्टी, दरभंगा में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे, जिनकी दिनांक- 12.06.2026 को दिन दहाड़े मुख्य अभियुक्त सोनू कुमार पासवान उर्फ सोनू कुमार द्वारा कार्यस्थल पर ही पूर्व नियोजित सनसनीखेज़ एवं अत्यंत निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हत्या का पूरा घटनाक्रम सी०सी०टी०वी० कैमरे में कैद है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से वाइरल हो चुका है। इस घटना ने पूरे राज्य के लोगों को झकझोर दिया है तथा दरभंगा एवं आसपास के जिले के नागरिकों में भय और असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न हो गया है। घटना से संबंधित अशोक पेपर मिल थाना, दरभंगा में दिनांक 12.06.2026 को ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, जिसका नं०- 90/2026 U/S103(1)/3(5) है। पुलिस इस हत्या के साजिशकर्ताओं को अभी तक कानून के घेरे में नहीं ले पाई है, जिसके कारण स्थानीय लोगों में भय एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस जघन्य घटना की उच्चस्तरीय जाँच कराने, इसमें संलिप्त साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी एवं केस की स्पीडीट्रायल के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/-

अब्दुल बारी सिद्दिकी

स०वि०प०

ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-231/2026-2012(1)वि०प०।

दिनांक:-22.07.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-24.07.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

मो० हबीब  
22.07.2026

(मो० हबीब)

अवर सचिव

बिहार विधान परिषद्





## بہار قانون ساز کاؤنسل

عزت مآب چیرمین،

## توجہ طلب اطلاع

مرحوم فیض احمد، باشندہ پرانی منصفی، وارڈ نمبر-۲۵، تھانہ لہریا سرائے، ضلع دربھنگہ، میلیئم یا ماہاشوروم، چندن پٹی، دربھنگہ میں مینجر کے عہدہ پر کام کر رہے تھے جن کی مورخہ ۱۲ جون، ۲۰۲۶ کو دن دھاڑے اہم ملزم سونو کمار پاسوان عرف سونو کمار کے ذریعہ ورک شاپ پر ہی قبل سے منظم سازش کے تحت سنسنی خیز اور بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ قتل کا پورا واقعہ سی سی وی کیمرے میں قید ہے، جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر وائرل ہو چکا ہے۔ اس واقعہ نے پوری ریاست کے لوگوں کو جھنجھوڑ دیا ہے اور دربھنگہ اور آس پاس کے ضلعوں کے شہریوں میں خوف اور عدم تحفظ کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ واقعہ سے متعلق اشوک پیپر مل تھانہ، دربھنگہ میں مورخہ ۱۲ جون، ۲۰۲۶ کو ہی پرائمری رپورٹ درج کی جا چکی ہے، جس کا نمبر- (5)/3(1)/103 U/S 90/2026 ہے۔ پولس اس قتل کے سازش کنندوں کو ابھی تک قانون کے گھیرے میں نہیں لے پائی ہے، جس کے سبب مقامی لوگوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔

لہذا، اس بہیمانہ واقعہ کی اعلیٰ سطحی جانچ کرانے، اس میں ملوث سازش کنندوں کی گرفتاری اور کیس کی اسپیدی ٹرائیل کے سلسلے میں حکومت سے ایوان میں ایک واضح بیان کی مانگ کرتا ہوں۔

دستخط

عبدالباری صدیقی  
رکن، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 22.07.2026

مکتوب نمبر: 231/2026-2012(1)

معزز رکن، مورخہ 24.07.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

صحیح حبیب  
22.07.2026  
(محمد حبیب)

انڈر سکرٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ





## बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

## ध्यानाकर्षण

213वां सत्र

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु समय-सीमा निर्धारण किया गया है। जिसमें प्रथम चरण में समायोजन / पारस्परिक स्थानांतरण किया जाएगा। समायोजन में वरीय शिक्षक को हटाने की चर्चा की गई है, जबकि वे पूर्व से स्वीकृत पदों पर कार्यरत हैं, इन्हें प्रोन्नति देते हुए रिक्त पदों पर ही नए शिक्षकों में से सबसे बाद में नियुक्त हुए हैं, ऐसे ही कनीय शिक्षकों का समायोजन किया जाय। विभागीय गलती के कारण उसी विद्यालय में अतिरिक्त नियुक्ति या स्थानांतरण किया गया है। ऐसी स्थिति में बाद में नियुक्त/स्थानांतरण से आये शिक्षकों का ही समायोजन किया जाना चाहिए। विभागीय अधिसूचना संख्या 656 दिनांक 25.06.2026 के द्वारा बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 में स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्णतः ऐच्छिक है। शिक्षा विभाग का आदेश ज्ञापांक-4207 दिनांक-22.11.2025 के द्वारा वर्ग-01 से 05 के शिक्षकों को वर्ग-06 से 08 में, वर्ग-06 से 08 के शिक्षकों को वरीय शिक्षक के रूप में तथा वर्ग-09 से 10 के शिक्षकों को वर्ग 11 से 12 में, वर्ग-11 से 12 के शिक्षकों को वरीय शिक्षक के रूप में प्रोन्नति हेतु विभिन्न जिलों के द्वारा संबंधित शिक्षकों से विहित प्रपत्र एवं मूल सेवा पुस्तिका जिला शिक्षा कार्यालय में जमा कराया गया है, लेकिन आजतक संबंधित शिक्षकों को जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा शिक्षा विभाग से प्रोन्नति हेतु मार्गदर्शन नहीं दिये जाने के कारण प्रोन्नति प्रदान नहीं किया गया है। पूर्व में वर्ष-2020-2021 में नियोजित शिक्षकों को पांच वर्षों के पश्चात भी प्रोन्नति प्रदान नहीं की गई है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संबंधित शिक्षकों की प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/- प्रो० संजय कुमार सिंह, स०वि०प०

ह०/- डॉ० मदन मोहन झा, स०वि०प०

ह०/- नीरज कुमार, स०वि०प०

ह०/- डॉ० संजीव कुमार सिंह, स०वि०प०

ह०/- महेश्वर सिंह, स०वि०प०

ह०/- जीवन कुमार, स०वि०प०

ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-232/2026-2041(1)वि०प०।

दिनांक:-23.07.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-24.07.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

मो० हबीब  
23.07.2026

(मो० हबीब)

अवर सचिव

बिहार विधान परिषद्





## بہار قانون ساز کاؤنسل

## توجہ طلب اطلاع

عزت مآب چیرمین،

حکومت بہار کے محکمہ تعلیم کی جانب سے اساتذہ کے تبادلے کے لیے مدت مقررہ کا تعین کیا گیا ہے۔ جس کے تحت پہلے مرحلے میں ایڈجسٹمنٹ/اباہمی تبادلہ کیا جائے گا۔ ایڈجسٹمنٹ کے دوران سینئر اساتذہ کو ہٹانے کی بات کی گئی ہے، جبکہ وہ پہلے سے منظور شدہ عہدوں پر مامور ہیں، انہیں پرموشن دیتے ہوئے خالی عہدوں پر ہی نئے اساتذہ میں سے سب سے بعد میں بحال ہوئے ہیں، ایسے ہی جونیئر اساتذہ کا ایڈجسٹمنٹ کیا جائے۔ محکمہ جاتی غلطی کے سبب اسی اسکول میں اضافی بحالی یا تبادلہ کیا گیا ہے۔ ایسی صورت حال میں بعد میں بحال/تبادلے کے ذریعے آنے والے اساتذہ کا ہی ایڈجسٹمنٹ کیا جانا چاہیے۔ محکمہ جاتی نوٹیفکیشن نمبر 656 مورخہ 25.06.2026 کے ذریعے بہار ریاستی اساتذہ تبادلہ ضابطہ نامہ 2026 میں تبادلہ کا عمل مکمل طور پر اختیاری ہے۔ محکمہ تعلیم کے حکم نامہ مکتوب نمبر 4207 مورخہ 22.11.2025 کے تحت جماعت 1 تا 5 کے اساتذہ کو جماعت 6 تا 8 میں، جماعت 8 تا 6 کے اساتذہ کو سینئر استاد کے طور پر اور جماعت 9 تا 10 کے اساتذہ کو جماعت 11 تا 12 میں، جماعت 11 تا 12 کے اساتذہ کو سینئر استاد کے طور پر پرموشن دینے کے لیے مختلف اضلاع کی جانب سے متعلقہ اساتذہ سے مقررہ فارم اور اصل سروس بک ضلع دفتر تعلیم میں جمع کرایا گیا ہے، لیکن تاحال متعلقہ اساتذہ کو ضلع تعلیمی افسران کی جانب سے محکمہ تعلیم سے پرموشن کے سلسلے میں رہنما ہدایات نہیں دیے جانے کے سبب پرموشن نہیں دی گئی ہے۔ قبل ازیں سال 2020-2021 میں ٹھیکہ پر بحال اساتذہ کو پانچ سال گزر جانے کے بعد بھی پرموشن نہیں دیا گیا ہے۔ لہذا، مذکورہ بالا حقائق کی روشنی میں متعلقہ اساتذہ کو پرموشن دیے جانے کے سلسلے میں حکومت سے ایوان میں ایک واضح بیان کی مانگ کرتے

ہیں۔

دستخط

پروفیسر سنجے کمار سنگھ، ڈاکٹر مدن موہن جھما، نیرج کمار،

ڈاکٹر سنجیو کمار سنگھ، مہیشو سنگھ، جیون کمار

اراکین، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 23.07.2026

مکتوب نمبر: 232/2026-2041(1)

معزز اراکین، مورخہ 24.07.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

محمد حبیب  
23.07.2026  
(محمد حبیب)

انڈر سکرٹری  
بہار قانون ساز کاؤنسل





## बिहार विधान परिषद्

## ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

213वां सत्र

बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा संचालित पोलिटेक्निक कॉलेज में कार्यरत व्याख्याताओं की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। जबकि शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थानों (DIET, PTEC, BITE, CTE) में कार्यरत व्याख्याताओं की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। बिहार सरकार के फार्मैसी कॉलेज, दन्त चिकित्सा, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत (वर्ग कक्ष) व्याख्याताओं की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत DIET PTEC BITE और CTE में कार्यरत व्याख्याताओं की सेवानिवृत्ति की आयु अभी तक 60 वर्ष ही रखा गया है। राज्य के अध्यापक शिक्षण संस्थानों में 8-9 वर्षों से सेवा करने के आधार पर नियोजित संवर्ग से आने वाले शिक्षक, जो सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण हो कर व्याख्याता बने हैं, उन्हें पूर्व की सेवा की निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए।

अतः उक्त सभी राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत व्याख्याताओं की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष के समान ही राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्यरत व्याख्याताओं की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष किये जाने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह०/- प्रो० संजय कुमार सिंह, स०वि०प०

ह०/- डॉ० संजीव कुमार सिंह, स०वि० प०

ह०/- नीरज कुमार, स०वि०प०

ह०/- महेश्वर सिंह, स०वि०प०

ह०/- जीवन कुमार, स०वि०प०

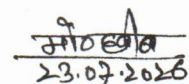
ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-233/2026-2042(1)वि०प०।

दिनांक:-23.07.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ उच्च शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-24.07.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

  
23.07.2026

(मो० हबीब)

अवर सचिव

बिहार विधान परिषद्





## بہار قانون ساز کاؤنسل

## توجہ طلب اطلاع

عزت مآب چیرمین،

حکومت بہار کے محکمہ سائنس و ٹیکنالوجی کے زیر انتظام چلنے والے پولی ٹیکنک کالج میں خدمات انجام دینے والے لکچررز کی سبکدوشی کی عمر 65 سال ہے۔ جبکہ محکمہ تعلیم کے زیر انتظام چلنے والے تربیتی اداروں (DIET, PTEC, BITE, CTE) میں خدمات انجام دینے والے لکچررز کی سبکدوشی کی عمر 60 سال ہے، جو آئین ہند کے آرٹیکل 14 اور 16 کی خلاف ورزی ہے۔ حکومت بہار کے فارمیسی کالج، ڈسٹریکٹ ہیلتھ، آیور ویدک اور ہومیو پیتھک سرکاری کالجوں میں خدمات انجام دینے والے (کلاس روم) لکچررز کی سبکدوشی کی عمر 65 سال ہے۔ محکمہ تعلیم کے تحت DIET, PTEC, BITE اور CTE میں خدمات انجام دینے والے لکچررز کی سبکدوشی کی عمر تاحال 60 سال ہی رکھی گئی ہے۔ ریاست کے اساتذہ تعلیمی اداروں میں 8-9 سال سے خدمات انجام دینے کی بنیاد پر نیوجت کیڈر سے آنے والے اساتذہ، جو محدود مسابقتی امتحان میں کامیابی حاصل کر کے لکچرر بنے ہیں، انہیں سابقہ ملازمت کی خدمت کے تسلسل کا فائدہ حاصل ہونا چاہیے۔ لہذا، مذکورہ تمام سرکاری کالجوں میں خدمات انجام دینے والے لکچررز کی سبکدوشی کی عمر 65 سال کے مساوی ہی سرکاری تربیتی کالجوں میں خدمات انجام دینے والے لکچررز کی سبکدوشی کی عمر بھی 65 سال مقرر کیے جانے کے سلسلے میں حکومت سے ایوان میں ایک واضح بیان کی مانگ کرتا ہوں۔

دستخط

پروفیسر سنجے کمار سنگھ، ڈاکٹر سنجیو کمار سنگھ، نیرج کمار،

مہیشو ر سنگھ، جیون کمار

اراکین، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 23.07.2026

مکتوب نمبر: 233/2026-2042(1)

معزز اراکین، مورخہ 24.07.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

محمد حبیب  
(محمد حبیب)

انڈر سکرٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ